



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 23 सितम्बर, 2020
आश्विन 1, 1942 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश शासन
राज्य कर अनुभाग-2

संख्या 1040/ग्यारह-2-20-9(47)-17-उ०प्र० अधि०-1-2017-आदेश(146)-2020
लखनऊ, 23 सितम्बर, 2020

अधिसूचना

प०आ०-267

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 48 के उपनियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना संख्या 428/ग्यारह-2-9(47)-17-उ०प्र० अधि०-1-2017-आदेश(106)-2020, तारीख 30 अप्रैल, 2020 में, निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, प्रथम पैराग्राफ में, -

(i) शब्द "निर्दिष्ट के सिवाय" के पूर्व शब्द "किसी विशेष आर्थिक जोन इकाई तथा" बढ़ा दिये जायेंगे;

(ii) शब्द "एक सौ करोड़ रुपये" के स्थान पर शब्द "पाँच सौ करोड़ रुपये" रख दिये जायेंगे।

2-यह अधिसूचना तारीख 30 जुलाई, 2020 से प्रभावी हुई समझी जाएगी।

आज्ञा से,
आलोक सिन्हा,
अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 1040/XI-2-20-9(47)-17-U.P. Act-1-2017-Order(146)-2020, dated September 23, 2020 :

No. 1040/XI-2-20-9(47)-17-U.P. Act-1-2017-Order(146)-2020

Dated Lucknow, September 23, 2020

IN exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 48 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, the Governor, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in notification no. 428/XI-2-9(47)-17-U.P. Act-1-2017-Order(106)-2020, dated April 30, 2020, namely :-

In the said notification, in the first paragraph, -

(i) before the words "those referred to in sub-rules", the words " a Special Economic Zone unit and" shall *be inserted*;

(ii) *for* the words "one hundred crore rupees", the words " five hundred crore rupees" shall be *substituted*.

2. This notification shall be deemed to have come into effect from the 30th day of July, 2020.

By order,
ALOK SINHA,
Apar Mukhya Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 323 राजपत्र-2020-(780)-599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।
पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 52 सा० राज्य कर-2020-(781)-3500 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।